न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री अंशुल आमेरिया (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 67 / 2018 राजस्व प्रार्थनापत्र

अनवान

1 श्री बंशीलाल आत्मज रामदयाल मण्डोवरा निवासी–हमीरगढ तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा।

.... प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती रेखा धर्मपत्नि सुनिल तापडिया नि. कांकरोली तह व जिला राजसमन्द(राज)
2. श्रीमति पुष्पा धर्मपत्नि सतीश तापडिया नि. कांकरोली तह व जिला राजसमन्द(राज)
3. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड शाखा भीलवाडा जरिये महाप्रबन्धक
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।

..... अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत काश्तकारी अधिनियम 1955 अन्तर्गत धारा 251 (ए)

उपस्थित :::– **प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री अंशुल शर्मा**

अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 अनुपस्थित

पेरोकार सरकार...................विपक्षी क्रम 4

–:: निर्णय ::–

दिनांक 04 / 02 / 2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रापत्र काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधित नियम 251(क) दिनांक 16.07.2018 को प्रा0पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया की प्रार्थी के खातेदारी हक अधिकार की कृषि भूमि वाके ग्राम स्वरूपगंज पटवार हल्का स्वरूपगंज भू. अ.नि. खैराबाद तह हमीरगढ जिला भीलवाडा मे प्रार्थीगण के खातेदारी हक अधिकार की कृषि आराजी संख्या 310,311,312 कुल किता 03 कुल रकबा 03 बीघा 14 बिस्वा बिस्वा भूमि स्थित है ।

प्रार्थीगण की उक्त आराजियात में आने जाने का एकमात्र कदीमी रास्ता भीलवाडा से हमीरगढ(स्वरूपगंज) जाने वाली मुख्य सडक से होकर आराजी नम्बर 321 में से होकर आराजी नम्बर 313 की पश्चिमी व उत्तरी मेड के सहारे–सहारे होते हुए प्रार्थी अपनी उपरोक्त आराजीयात में सदैव आते–जाते हैं। आराजी नम्बर 321 प्रार्थी की ही खातेदारी की भूमि थी, जो वर्तमान में रिको द्वारा अवाप्त कर ली गयी है। प्रार्थी की उपरोक्त आराजीयात में आने–जाने का एकमात्र रास्ता उपरोक्त रास्ता ही है, इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं [illegible] यात में सदैव से उक्त रास्ते से होकर ही अपने कृषि उपकरणों संज–बै[illegible] सहित आ–जा रहे हैं लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज [illegible] में फितुर उत्पन्न हो गया है और वे आये दिन रास्ते [illegible] हैं व दिनांक 25[illegible]8 को भी आने–जाने में बाधा उत्पन्न की । उक्त वादग्[illegible] रास्ते की प्रार्थी को[illegible] भूमि में आने–जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है, इसलिए मुझ खातेदार प्रार्थी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2021.02.25 11:40:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़,भीलवाड़ा

आवेदन स्वीकार फरमा आराजी नम्बर 321 में नजरी नक्शे अनुसार व आराजी न. 313 की पश्चिमी–उत्तरी मेड पर 30 फीट नया रास्ता दिलाने का आदेश प्रदान करावें एवं उक्त कायम किये गये नये रास्ते को राजस्व रेकॉर्ड(नक्शे) में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावें तथा इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि भुगतान करने लिए हम सदैव तैयार है।

प्रा0पत्र न्यायालय में दिनांक 16.07.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी को वजय जाहिर हेतु नोटिस जारी किया गया विपक्षी की तरफ से प्रार्थी के प्रा0पत्र के खण्डन मे प्रति संख्या 1 व 2 कि ओर से किसी प्रकार से जवाब प्रस्तुत नही हुआ, दिनांक 04.02.2021 को विपक्षी संख्या 01 व 02 का जवाब बन्द किया गया। विपक्षी क्रम 03 की ओर प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी जा0दी0 दिनांक 13.08. 2019 को प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी पक्ष की ओर से दिनांक 27–02–2020 को जवाब प्रा.प. पत्र प्रस्तुत किया गया। जो शामिल फाईल किया गया । तत्पश्यात् पत्रावली को बहस प्रा0पत्र 7 नियम 11 सी.पी.सी चरण पर पंजीबद्ध किया गया नियत सुनवाई दिनांक पर विपक्षी क्रम 3 स्वंय अथवा उनके नियुक्त अधिवक्ता प्रा.पत्र पर बहस प्रस्तुतीकरण हेतु गैरहाजिर रहने से विपक्षी क्रम 3 का प्रस्तुत प्रा0पत्र धारा 07 नियम 11 सी0पी0सी अदम पेरवी अदम हाजरी में दिनांक 02.02.2021 को खारिज कर निर्णित किया गया।

स्थिति को स्पष्ट कराने के लिए अधिनस्थ तहसीलदार हमीरगढ को प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि में आवागमन के लिए रास्ते के बारे में स्थल निरीक्षण करा मोके की रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। अधिनस्थ तहसीलदार हमीरगढ ने न्यायालय के आदेशानुसार अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2021/1518 दिनांक 02.09.2019 से भिजवाई गई जिसे शामिल फाईल किया गया।

हमने वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। तथा तहसीलदार हमीरगढ की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। प्रार्थी अपने खेत आ.न. 310,311,312 में आने जाने हेतु आराजी नम्बर 293 रकबा 1.6633 है0 में से 0.1125 है0, आराजी नम्बर 294/1 रकबा 0.2276 है0 में से 0.188 है0, आराजी नम्बर 294/2 रकबा 0.2403 है0 में से 0. 0038 है0, आराजी नम्बर 0295 रकबा 0.0632 रकबा 0.0152 है0 रास्ता चाहते है। प्रार्थिया के खेत में आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। जिसे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है।

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रा0पत्र काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधित नियम 251(ए) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रा0पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को अपने खाते की कृषि भूमि ग्राम स्वरूपगंज प.ह. स्वरूपगंज भू.अभिलेख निरीक्षक खैराबाद तह हमीरगढ में स्थित खसरा संख्या 310,311,312 कुल किता 03 कुल रकबा 03 बीघा 14 बिस्वा में आने जाने हेतु आराजी नम्बर 293 रकबा 1.6633 है0 में से 0.1125 है0, आराजी नम्बर 294/1 रकबा 0.2276 है0 में से 0.188 है0, आराजी नम्बर 294/2 रकबा 0.2403 है0 में से 0.0038 है0, आराजी नम्बर 0295 रकबा 0.0632 रकबा 0.0152 है0 आवागमन हेतु उत्तरी मेड के सहारे–सहारे प्रार्थी को अपने खाते की कृषि भूमि में आवागमन हेतु 20 फीट चोडा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। प्रार्थी उक्त रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि के लिए डी.एल.सी दर की दुगुनी राशि राजकोष में तहसीलदार हमीरगढ के माध्यम

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2021.02.25 11:40:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़, भीलवाड़ा

से जमा करावें राशि जमा होने पर तहसीलदार हमीरगढ उक्त रास्ते को राजस्व अधिकार अभिलेख जमाबंदी व राजस्व नक्शे में इसका लाल स्याही से तरमीम करने की सुनिश्चिता करें। खर्चा फरकीन अपना–अपना वहन करें। आदेश की प्रति पालना हेतु तहसीलदार हमीरगढ को प्रेषित की जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 04.02.2021 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(अंशुल आमेरिया)
उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ
जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2021.02.25 11:40:56 IST
Reason: SelfAttested